सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–1) विभाग

क्रमांक प.3/12(1)कार्मिक/क–1/19 जयपुर, दिनांकः 31 JAN 2022

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
   प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव,
2. पुलिस महानिदेशक,
3. प्रमुख मुख्य वन संरक्षक,
4. समस्त विभागाध्यक्ष,
5. अखिल भारतीय सेवा के समस्त अधिकारी,
   आई.ए.एस./आई.पी.एस./आई.एफ.एस.

विषयः– बैंकों के स्थान पर पेंशन विभाग द्वारा जारी केन्द्रीयकृत पेंशन वितरण हेतु अतिरिक्त सूचना उपलब्ध करवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक निपेवि/पीसी/ई–कुबेर/2020–21/2574–2673–के दिनांक 20.01.2022 के क्रम में निवेदन है कि माह दिसम्बर, 2021 से पेंशन वितरण का कार्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के स्थान पर रिजर्व बैंक के ई–कुबेर साफ्टवेयर से निदेशालय, पेंशन विभाग में अतिरिक्त निदेशक (मुख्यालय) एवं केन्द्रीयकृत पेंशन वितरण अधिकारी द्वारा किया जा रहा है।

अतः पेंशन परिलाभों का भुगतान बिना किसी विलम्ब के एवं पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की उपस्थिति के बिना किये जाने के लिये निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग के पत्र संख्या निपेवि/पीसी/ई–कुबेर/2020–21/2574–2673–के दिनांक 20.01.2022 (संलग्न) में दिये गये प्रपत्र में अधिकारियों के पेंशन कुलक में तथा ऑनलाइन प्रस्तुत करने के समय अग्रेषित पत्र में उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था कराने का श्रम करावें।

संलग्नः–उपर्युक्तानुसार।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
संयुक्त शासन सचिव

Department of Personnel (A-1), Government of Rajasthan, Main Building, Secretariat, Jaipur (Rajasthan)
Phone No.: 0141-2227347 (O), Fax: 2227986, Email: ds-dop@rajasthan.gov.in

126

राजस्थान सरकार

निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण

विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान)302005
ईमेल–dir-pen-rj@nic.in , दूरभाष न. 0141–2740538,2741687
वेबसाईटः– rajpension.nic.in, pension.raj.nic.in

क्रमांकः– निपेवि / पीसी / ई–कुबेर / 2020–21 2574-2673-K दिनांकः– 20-01-2022

विभागाध्यक्ष
समस्त।

विषयः– बैंको के स्थान पर इस विभाग द्वारा केन्द्रीयकृत पेंशन वितरण हेतु अतिरिक्त सूचना उपलब्ध करवाने बाबत्।

संदर्भः– इस कार्यालय का पूर्व पत्रांक 2181–2280 दिनांक 03.01.2022.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि माह दिसम्बर 2021 से पेंशन वितरण का कार्य राष्ट्रीकृत बैंको के स्थान पर रिजर्व बैंक के ई–कुबेर सॉफ्टवेयर से निदेशालय पेंशन विभाग में अतिरिक्त निदेशक (मुख्यालय) एवं केन्द्रीयकृत पेंशन वितरण अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। निकट भविष्य में पेंशनर्स को पेंशन स्लिप, आयकर कटौती विवरण, फार्म–16 एवं अन्य सूचनाऐं पेंशनर / पारिवारिक पेंशन को सीधे ही मोबाईल / ई–मेल के माध्यम से दी जावेगी इसके अतिरिक्त ग्रेच्यूटी एवं कम्यूटेशन की अधिकृतियों का भुगतान भी ऑनलाईन Identification के उपरान्त पेंशनर की व्यक्गित उपस्थिति के बिना चालू किया जावेगा। इस हेतु मोड्यूल / पोर्टल पर शीघ्र ही आवश्यक सुविधा प्रदान की जावेगी ताकि पेंशनर द्वारा ऑनलाईन जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा सके अथवा Self Identification किया जा सके। पेंशन परिलाभों का भुगतान बिना किसी विलम्ब के एवं पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर की उपस्थिति के बिना किये जाने के लिये कुछ सूचनाओ का पूर्व में ही इस विभाग में प्राप्त होना आवश्यक है।

अतः निवेदन है कि सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों / अधिकारियों के पेंशन कुलक में तथा ऑनलाइन प्रस्तुत करने के समय अग्रेषित पत्र में निम्न प्रपत्र में सूचना आवश्यक रूप से संलग्न कर प्रेषित करें:–

क्र.सं.	सूचना	सूचना का वर्णन
1	पेंशन / पारिवारिक पेंशनर का मोबाईल न.	———
2	पेंशन / पारिवारिक पेंशनर के पेन न. मय प्रति	———
3	पेंशन / पारिवारिक पेंशनर आधार न. मय प्रति	———
4	पेंशन / पारिवारिक पेंशनर की ई–मेल आई.डी	———
5	पेंशन / पारिवारिक पेंशनर के बैंक खाते का विवरण– बैंक का नाम	———
6	शाखा का नाम	———
7	आई.एफ.एस.सी. कोड	———
8	खाता संख्या	———
9	बैंक पास बुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति / कैन्सिल्ड चैक	अपलोड / संलग्न–हॉ / ना टिक करें

127

चूकिं ग्रेच्यूटी एवं कम्यूटेशन राशि का भुगतान पेंशनर की व्यक्गित उपस्थिति एवं पहचान के बिना किया जाना है। अतः कृपया यह भी सुनिश्चित किया जावें की राजस्थान (सिविल सेंवा) पेंशन नियम –1996 के नियम 84 के प्रावधानो के अनुसार पेंशन दस्तावेजो को अग्रेषित करने के बाद कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है, जिसका स्वीकार्य पेंशन की राशि पर अथवा अस्थाई अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र में दिये गये आंकडों पर प्रभाव पडता है एवं जिनके कारण पीपीओ, जीपीओ एवं सीपीओ परिवर्तित/निरस्त करने पडेंगे, तो ऐसी घटना (यथा कर्मचारी के विरूद्व विभागीय जाँच प्रारम्भ करना, पेंशन दस्तावेज अग्रेषित करने के पश्चात् की गई अर्हकारी सेंवा के रूप में स्वीकार नही करना एवं कर्मचारी की मृत्यु) की सूचना आवश्यक रूप से प्रेषित करने हेतु अपने अधीनस्थ कार्यालयध्यक्षों को पाबंद किया जावें ताकि पेंशन परिलाभो का भुगतान कर्मचारी/पेंशनर की मृत्यु की स्थिति में भी सही दावेदार को समय पर मिल सके।

उल्लेखनीय है कि पूर्व पत्र दिनांक 03.01.2022 द्वारा निवेदन करने के उपरान्त भी अभी तक पेंशन कुलक/आवेदन में उक्त सूचनाऐं प्राप्त नहीं हो रही है, जिसके अभाव में पेंशनर को भुगतान करने में कठिनाई होगी। अतः आप अपने अधीनस्थ सभी आहरण वितरण अधिकारियो को उक्त सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करावें। दिनांक 25 जनवरी 2022 के पश्चात् उक्त सूचनाओं के बिना प्राप्त पेंशन प्रकरणों का निस्तारण नहीं किया जाकर विभाग से पुनः आग्रह किया जाएगा की उक्त सूचनाओं का समावेश करते हुए ही पेंशन प्रकरण भेजा जाए। मॉडयूल में की गई तकनीकी व्यवस्था के कारण दिनांक 25.01.2022 के पश्चात् यदि उक्त सूचनाओं के बिना पेंशन प्रकरण प्राप्त होते है तो विभाग में उसकी ऑनलाईन प्राप्ति संभव नहीं हो सकेगी। अतः विलम्ब से बचने के लिए कृपया अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयध्यक्षों को निर्देशित करें कि पेंशन प्रकरण प्रेषित करते समय उक्त सूचना भी आवश्यक रूप से संलग्न/प्रेषित की जाए।

भवदीय

(संजय सोलंकी)
निदेशक

OSD/Sir/318